न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. अरुणा देवी पत्नी कांतिलाल रावल, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 251/2020

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही
2. श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

-: निर्णय :- दिनांक 18 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा बिना प्रस्ताव पारित किये अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 12005 दिनांक 25.3.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःकोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(4) प्रकरण में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, [illegible] अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री [illegible] सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही [illegible] तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त [illegible] राजस्थान [illegible] राज नियम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested

....पेज दो

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को नि:शुल्क पट्टा जारी किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 उक्त नियम 157(2) के तहत नि:शुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखती है एवं न ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखती है। अप्रार्थी संख्या-2 का पक्का आवासीय मकान ग्राम वाटेरा में पुरानी आबादी भूमि में बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के नि:शुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/नि:शुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4()पीसी/पराвि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, ज्ञयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)पराвि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कही पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नही, की जांच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रंदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त नियम 157(2) के तहत नि:शुल्क पट्टा जारी किया है, जो गलत है। अत: प्रस्तुत निगरानी आवेदन को स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही के कथनों [illegible] की गई।

(5) प्रकरण में [illegible] एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन [illegible] यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को [illegible] राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के

....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तहत प्रारुप-23ख में क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 12005 दिनांक 25.3.2016 को जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के नि:शुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वाटेरा ने निगरानी आवेदन में यह अंकित किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने की अप्रार्थी संख्या-2 पात्रता नही रखती है एवं ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बिना प्रस्ताव लिये ही अप्रार्थी संख्या-2 को पट्टा जारी किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को जिस भूमि में पट्टा जारी किया गया है वह भूमि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत, पिण्डवाडा को आवंटित हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते हैं, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम [illegible] वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है [illegible] खसरा संख्या नंबर में कौनसा पट्टा विलेख जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी,

....पेज चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नही की है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता की जांच किये बिना ही पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है।

अत: प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा आर्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 12005 दिनांक 25.3.2016 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुाया गया।

2/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

अपर जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested